

1	विभाग-	समाज कल्याण विभाग।
2	योजना का नाम -	वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी-	इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन निराश्रित वृद्धजनों को रू0 400.00 मासिक एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को रू0 500.00 मासिक की दर से वृद्धावस्था पेंशन न दिये जाने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता-	(a) योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए (यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची की छायाप्रति)  (b) अन्य किसी प्रकार की पेंशन न प्राप्त कर रहे हों।
5	आवेदन की प्रक्रिया-	इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग वेबासाईट— <a href="http://swd.up.nic.in">swd.up.nic.in</a> पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6	लिंक वेब साईड	<a href="http://swd.up.nic.in">swd.up.nic.in</a>
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।